...यालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

प्रशासन गांव के संग अभियान—2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सथूर

प्रार्थना पत्र संख्याः— 264 / प्रा0पत्र / 2020

1. अनिता आयु 57 वर्ष आ0 रामकुमार जाति ब्राहमण निवासी गायत्री नगर बून्दी, तहसील व जिला बून्दी (राज0)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :— 136 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी अधिवक्ता — श्री शम्भूदयाल शर्मा

अप्रार्थी — पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :— 21 / 10 / 2021

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 135 रकबा 2 बिस्वा, 136 रकबा 2 बिस्वा, 137 रकबा 9 बिस्वा, 139 रकबा 7 बिस्वा, 143 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 144 रकबा 11 बिस्वा, कुल किता 6 कुल रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम शोला की झोपडियां पटवार मण्डल सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। कृषि भूमि खसरा संख्या 3227 रकबा 8 बिस्वा, 3228 रकबा 15 बिस्वा, 3229 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 3230 रकबा 2 बिस्वा, 3231 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 3232/1 रकबा 18 बिस्वा, 4140/3219 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम बडानयागांव पटवार मण्डल बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियों की प्रार्थीयां खातेदार है एवं काबिज काश्त है। प्रार्थीया के पति रामकुमार का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीयां के पति का नाम रामकुमार है लेकिन राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीयां के पति का नाम रामकुंवार दर्ज कर रखा है जो अवैध एवं अशुद्व है। उक्त इन्द्राज शुद्व किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थीयां के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पेन कार्ड, फौटो पहचान पत्र आदि में रामकुमार ही दर्ज लेकिन राजस्व रिकार्ड में रामकुंवार अंकित किया हुआ है। राजस्व

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)

में प्रार्थीयां के पति का नाम रामकुंवार दर्ज किये जाने से पहचान के संबंध में की दिक्कत आती है। प्रार्थीयां ने जमाबंदी की नकल दिनांक 05.10.2020 को निकलवाई उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी प्रार्थीयां को हुई और प्रार्थीयां ने उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी मिलने के उपरान्त पटवारी हल्का को रामकुवार के स्थान पर रामकुमार दर्ज करने/संशोधित करने को अनुरोध किया लेकिन उन्होने न्यायालय के आदेश के बिना इन्द्राज दुरूस्त करने से दिनांक 09.10.2020 को मना कर देने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थीयां को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीयां राजस्व रिकार्ड में अपने पति के नाम के गलत इन्द्राज दुरूस्त करवावे एवं रामकुंवार के स्थान पर रामकुमार दर्ज करवावें। भूमि ग्राम शोला की झोपडियां व ग्राम बडानयागांव तहसील हिण्डोली में स्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्यायशुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बडानयागांव की भूमि खसरा संख्या 3227 रकबा 8 बिस्वा, 3228 रकबा 15 बिस्वा, 3229 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 3230 रकबा 2 बिस्वा, 3231 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 3232/1 रकबा 18 बिस्वा, 4140/3219 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा व ग्राम शोला की झोपडियां पटवार हल्का सथूर की भूमि खसरा संख्या 135 रकबा 2 बिस्वा, 136 रकबा 2 बिस्वा, 137 रकबा 9 बिस्वा, 139 रकबा 7 बिस्वा, 143 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 144 रकबा 11 बिस्वा, कुल किता 6 कुल रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा की जमाबंदी में खातेदार के कॉलम में दर्ज अनिता पत्नी रामकुंवार के स्थान पर अनिता पत्नी रामकुमार का इन्द्राज कर गलत इन्द्राज को संशोधित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचयात सथूर में पेश हुई। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा अपने पत्र क्रमांक :– राजस्व/21/136 दिनांक :– 21.10.2021 से विवादित भूमि की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल मिसल की गई। वकील प्रार्थीया उपस्थित है। वकील प्रार्थीया ने बहस सुने जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया की बहस सुनी। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीया के पति का सही नाम रामकुमार है जो सही है जिसे भूमि खसरा संख्या 135, 136, 137, 139, ग्राम शोला की झोपडिया पटवार मंडल सथूर व भूमि खसरा संख्या 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232/1, 4140/3219 ग्राम बडानयागांव पटवार मण्डल बडानयागांव में प्रार्थी के पिता का नाम रामकुंवार के स्थान पर रामकुमार दर्ज किया जावें।

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात छायाप्रति जयपुर नगर निगम मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण संख्या :– 311015840, ड्राईविंग लाईसेंस क्रमांक :– आ0जे0–08/डी0एल0सी0/2005/10760, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र क्रमांक :– **1X10280958** एवं स्थायी लेखा संख्या क्रमांक :– **AADHR6538M** , परिवार राशन कार्ड जिला रसद अधिकारी बून्दी क्रमांक :– 165 एवं प्रमाण पत्र तहसीलदार हिण्डोली दिनांक :– 13.11.2013 में भी प्रार्थीया के पति का नाम रामकुमार दर्ज है। अतः मुताबिक दस्तावेज के जमाबंदी में अंकित रामकुंवार के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

को विलोपित कर प्रार्थीया के पति का सही नाम रामकुमार दर्ज किया जाना योचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खाता संख्या 2 की भूमि खसरा संख्या 135, 136, 137, 139 कुल किता 4 कुल रकबा 0.1538 हैक्टेयर ग्राम शोला की झौपडिया पटवार मंडल सथूर एवं भूमि खाता संख्या 625 खसरा संख्या 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232/1, 4140/3219 कुल किता 7 कुल रकबा 7.11 बीघा ग्राम बडानयागांव पटवार मण्डल बडानयागांव में दर्ज प्रार्थीया के पति का नाम रामकुंवार के स्थान पर रामकुमार दर्ज करने आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र सथूर में सरेआम सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली